छत्तीसगढ़ विधानसभा

पत्रक भाग-एक
संक्षिप्त कार्य विवरण

तृतीय विधान सभा एकादश सत्र अंक-06

रायपुर, गुरूवार, दिनांक 20 दिसम्बर, 2012
(अग्रहायण-29, शक संवत 1934)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 से 03 एवं 06 से 11 (कुल 09) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिए गए।

प्रश्न संख्या 04 एवं 05 के प्रश्नकर्त्ता सदस्य क्रमशः सर्वश्री रामदयाल उईके एवं विरेन्द्र कुमार साहू अनुपस्थित रहे।

प्रश्न संख्या 02 के प्रश्नकर्त्ता सदस्य श्री भोलाराम साहू के स्थान पर श्री लेखराम साहू, सदस्य अधिकृत थे।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 35 तारांकित एवं 57 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

2. पृच्छा

कोल ब्लाक आबंटन के संबंध में स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा

श्री नंद कुमार पटेल एवं प्रतिपक्ष के अन्य सदस्यों द्वारा कोल ब्लाक आबंटन के संबंध में उनके द्वारा दिए गए स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की मांग की गई।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, संसदीय कार्य मंत्री ने उल्लेख किया कि यह विषय सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और जिस विषय पर महालेखाकार ने रिपोर्ट दी है, तथा विषय सार्वजनिक उपक्रम समिति के पास है, उस विषय पर चर्चा का कोई औचित्य नहीं है।

माननीय अध्यक्ष ने कथन किया कि इस विषय पर स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से चर्चा नहीं हो सकती। अन्य कोई सूचना देंगे तो उस पर चर्चा हो सकती है।

प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा नारे लगाए गए।

माननीय अध्यक्ष ने सूचित किया कि आपके द्वारा दिनांक 13.12.12 को दी गई स्थगन प्रस्ताव की सूचना को कक्ष में अग्राह्य कर दिया है। उन्हीं तथ्यों को आधार बनाकर पुनः जो सूचना दी है, वह ग्राह्य योग्य नहीं है।

श्री नंदकुमार पटेल, सदस्य द्वारा स्थगन प्रस्ताव को ग्राह्य कर चर्चा कराने की पुनः मांग की गई।

माननीय अध्यक्ष ने प्रतिपक्ष के सदस्यों से आग्रह किया कि सभी माननीय सदस्यों को अपनी बातें रखने का अधिकार है। आप शालीनता के साथ अपनी बातें रखें। कृपया उत्तेजित न हों एवं भाषा शिष्ट रखें। माननीय अध्यक्ष द्वारा ध्यानाकर्षण सूचना पढ़ने हेतु श्री देवजी पटेल, सदस्य का नाम पुकारा गया।

प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराए जाने की पुनः मांग की गई। श्री बृजमोहन अग्रवाल, ससंदीय कार्य मंत्री ने कथन किया कि किसी अन्य सूचना के माध्यम से इस विषय पर चर्चा मांग सकते हैं।

श्री रविन्द्र चौबे, नेता प्रतिपक्ष ने आसंदी से आग्रह किया कि स्थगन प्रस्ताव को ग्राह्य कर चर्चा की अनुमति दें।

3. अध्यक्षीय व्यवस्था

माननीय अध्यक्ष द्वारा व्यवस्था दी गई कि मैंने स्थगन प्रस्ताव के विषय को बहुत गंभीरता से देखा है। मुझे यह जानकारी भी है कि जिस विषय के संबंध में यह स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है वह चर्चा का विषय विगत दिनों में बना है।

यह मामला महालेखाकार के प्रतिवेदन में भी उल्लेखित है और इस सभा की समिति उसका परीक्षण करेगी।

कोल ब्लाक का आबंटन राज्य सरकार का विषय नहीं है। यह एक सार्वजनिक उपक्रम की कार्यवाही से संबंधित मामला है, जिसमें शासन सीधे जिम्मेदार नहीं होता। यह अवश्य है कि इस पर शासन का ध्यान आकर्षित किया जा सकता है क्योंकि सरकारी उपक्रम शासन की निधि से चलते हैं और बाह्य रूप से शासन का उन पर नियंत्रण रहता है।

मैंने इस स्थगन प्रस्ताव को अग्राह्य कर दिया है।

मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य अब इस मामले को स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से सभा में लेने के लिए अनुरोध नहीं करें।

प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा नारे लगाए गए।

4. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) श्री देवजी पटेल, सदस्य ने प्रदेश के धान खरीदी संग्रहण केन्द्रों से धान का उठाव न किया जाकर सूखत के नाम पर अनियमितता किये जाने की ओर खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

(प्रतिपक्ष के सदस्य नारेबाजी करते हुए गर्भगृह में आये।)

5. गर्भगृह में प्रवेश पर स्वमेव निलंबन

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि-विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 250 (1) के अधीन गर्भगृह में आये सदस्य स्वमेव निलंबित हो गये हैं।

6. निलंबन अवधि की समाप्ति की घोषणा

माननीय अध्यक्ष ने घोषणा की कि सभा के गर्भगृह में आकर नियमों के अंतर्गत स्वमेव निलंबित सदस्यों का निलंबन मैंने तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया है।

कृपया माननीय सदस्य सभा की कार्यवाही में हिस्सा लें।

7. ध्यानाकर्षण सूचना (क्रमशः)

श्री पुन्नूलाल मोहले, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री नारायण चंदेल) पीठासीन हुए।)

माननीय उपाध्यक्ष ने प्रतिपक्ष के सदस्यों से कार्यवाही में भाग लेने का आग्रह किया।

(2) श्री नंद कुमार पटेल, सदस्य (अनुपस्थित)

8. नियम 267 क के अंतर्गत विषय

मानननीय उपाध्यक्ष के निर्देशानुसार नियम 267-क (2) को शिथिल कर निम्नलिखित सदस्यों की नियम 267-क की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गई :-

(1) श्री परेश बागबाहरा

(2) श्री मोहम्मद अकबर

(3) श्री सौरभ सिंह

(4) श्री देवजी पटेल

(5) श्री लेखराम साहू

(6) डॉ.शक्राजीत नायक

(7) डॉ.शिवकुमार डहरिया

(8) श्रीमती सरोजा मनहरण राठौर

9. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

(1) श्री विरेन्द्र कुमार साहू, सदस्य ने लोक लेखा समिति का एक सौ छ:वां, एक सौ सातवां, एक सौ आठवां, एक सौ नौवां, एक सौ दसवां, एक सौ ग्यारहवां, एक सौ बारहवां, एक सौ तेरहवां एवं एक सौ चौदहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

(2) श्री विरेन्द्र कुमार साहू, सभापति ने गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। प्रतिवेदन इस प्रकार है:-

समिति ने सदन के समक्ष शुक्रवार, दिनांक 21 दिसम्बर, 2012 को चर्चा के लिये आने वाले गैर सरकारी सदस्यों के कार्य पर विचार किया तथा निम्नलिखित अशासकीय संकल्प पर चर्चा के लिये निम्नानुसार समय निर्धारित करने की सिफारिश की है:-

अशासकीय संकल्प क्रं.	*सदस्य का नाम*	*समय*
1. (क्रमांक - 03)	श्री देवजी पटेल	2 घंटा 30 मिनट

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

10. याचिकाओं की प्रस्तुति

माननीय उपाध्यक्ष के निर्देशानुसार निम्नलिखित उपस्थित सदस्यों की याचिकाएं पढ़ी हुई मानी गईं :-

(1) श्रीमती लक्ष्मी बघेल

(2) श्री देवजी पटेल

11. शासकीय विधि विषयक कार्य

माननीय उपाध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा विधेयक 2012 (क्रमांक 19 सन् 2012) को वर्तमान सत्र की अल्प शेष अवधि के परिप्रेक्ष्य में तथा विधेयक की महत्ता एवं उपादेयता को दृष्टिगत रखते हुए स्थायी आदेश क्रमांक 23 (2) एवं 24 को सदन की अनुमति की प्रत्याशा में, शिथिल कर आज पुर:स्थापन करने की अनुमति प्रदान की गई।

सहमति प्रदान की गई।

छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा विधेयक, 2012 (क्रमांक 19 सन् 2012)

श्री पुन्नूलाल मोहले, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री ने छत्तीसगढ खाद्य सुरक्षा विधेयक, 2012 (क्रमांक 19 सन् 2012) पुर:स्थापित किया एवं छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा विधेयक, 2012 का शुद्धि पत्र प्रस्तुत किया।

(सदन की कार्यवाही 12.59 बजे स्थगित की जाकर 1.26 बजे पुन: समवेत हुई।)

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री नारायण चंदेल) पीठासीन हुए।)

अपराह्न 1.27 बजे विधान सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनाँक 21 दिसम्बर, 2012 (अग्रहायण, 30 शक संवत् 1934) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

देवेन्द्र वर्मा
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा